हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 2014

संख्या वैब 6/ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2014 .– हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उप नियम (1) में, खण्ड़ (डडड) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा तथा प्रथम अप्रैल, 2014 से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"(डडडड) "विकासक" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो नागरीक संरचना, फ्लैटस, निवास एकक, भवन, परिसर, कम्पलैक्स, वाणिज्यिक या अन्यथा के निर्माण में क्रेता की भूमि या भूमि में अन्तर्निहित हित सहित करार के अनुसरण में उनके विक्रय तथा अन्तरण के लिए चाहे पूर्णतः या भागतः (या तो स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से) लगा है तथा वचन देता है जहां भूमि का मूल्य या भूमि में अन्तर्निहित हित प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल प्रतिफल में शामिल है;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 49 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्;–

"**49 विकासक से अन्यथा संविदाकारों के सम्बन्ध में एक मुश्त स्कीम। (धारा 9)** (1) अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी नियम 49क के अधीन आने वाले विकासक से अन्यथा कोई संविदाकार राज्य में निष्पादन के लिए उसको दी गई संकर्म संविदा के सम्बन्ध में, किसी संविदा के निष्पादन में शामिल सम्पति का अन्तरण (चाहे माल रुप में या किसी अन्य रुप में हो) पर अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतान योग्य कर के बदले में संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त योग्य कुल मूल्यवान प्रतिफल के **पांच** प्रतिशत की दर पर संगणित एक मुश्त राशि का भुगतान, निम्नलिखित विशिष्टियों से

युक्त उसे संविदा के पंचाट के तीस दिन के भीतर समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करते हुए, कर सकता है:

(1) आवेदक संविदाकार का नाम;

(2) टी आई एन;
(पंजीकरण के लिए संलग्न आवेदन, यदि पंजीकृत नहीं है या पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है);

(3) संविदी का नाम;

(4) संविदा के पंचाट की तिथि;

(5) संविदा के निष्पादन का स्थान;

(6) संविदा की कुल लागत;

(7) निष्पादन की अवधि,

तथा संविदा की एक प्रति उसके साथ संलग्न या उसका ऐसा भाग जो कुल लागत तथा भुगतानों से सम्बन्धित हो।

(2) आवेदन पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा। आवेदन प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी स्वयं की संतुष्टि के बाद कि आवेदन की विषय वस्तु ठीक है, उसे अनुज्ञात करेगा तथा ऐसा संविदाकार जिसका आवेदन अनुज्ञात किया गया है, एक मुश्त राशि संविदाकार कहा जाएगा।

(3) एक मुश्त राशि संविदाकार, संविदा के निष्पादन के लिए **मास** के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्तियोग्य भुगतानों के **पांच** प्रतिशत की दर पर संगणित एकमुश्त राशि का मासिक भुगतान करने के लिए दायी होगा। इस प्रकार संगठित की गई एकमुश्त राशि का भुगतान उस **मास** के लिए धारा 24 के अधीन संविदाकार की ओर से संविदी द्वारा भुगतान की गई राशि में से कटौती करने के बाद मास की समाप्ति के अगले **इक्कीस** दिन के भीतर किया जाएगा। किये गये भुगतान के सबूत में खजाना रसीद तथा संविदा से प्राप्त किया गया कर कटौती तथा भुगतान के प्रमाण–पत्र (प्रमाण पत्रों) तिमाही विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जांएगे।

(4) एकमुश्त राशि संविदाकार, तिमाही की समाप्ति के एक मास के भीतर प्ररुप वैट–द 6 में तिमाही अन्तरालों पर विवरणिया दायर करेगा तथा उपनियम (3) के अधीन भुगतान की गई राशि के समायोजन के बाद ऐसी विवरणी के अनुसार उसकी ओर देय, यदि कोई हो, एक मुश्तराशि का भुगतान करेगा।

(5) एकमुश्त संविदाकार धारा 7 की उप–धारा (3) के खण्ड़ (क) के अधीन विहित प्ररुप वैट–घ–1 के साथ–साथ केन्द्रीय प्ररुप ग में घोषणा के प्राधिकार पर दोनों संविदा के निष्पादन में उपयोग के लिए माल के क्रय के लिए हकदार होगा तथा इस प्रयोजन के लिए वह विनिर्माता समझा जाएगा।

(6) एकमुश्त संविदाकार, उसके द्वारा उपयोग किये गये केन्द्रीय प्ररुप ग तथा प्ररुप वैट–घ 1 में घोषणाओं के पूरे खाते तथा इन प्ररुपों के प्राधिकार पर क्रय किए गए माल के उपयोगी खाते रखेगा। वह माल ले जाने के लिए प्ररुप वैट–घ 3 में घोषणा(ओं) के प्रयोग के लिए अपेक्षित होगा जिनका वह लेखा रखेगा। वह संविदा के निष्पादन के लिए उसके द्वारा प्राप्ति योग्य भुगतानों तथा उसके द्वारा वास्तविक रुप में प्राप्त किये गये भुगतानों के पूरे खाते भी रखेगा।